



भारत सरकार Government of India
रेल मंत्रालय Ministry of Railways
रेलवे बोर्ड Railway Board



International Year
of Cooperatives
2025
Cooperatives Build
a Better World

Office Order No. 49 of 2025

Sub.: Delegation of quasi-judicial powers/disciplinary functions of Member (Finance) to AM (Finance).

Ref.: Board's Order No. ERB-I/2024/2/08 dt. 25.04.2025 and Board's Office Order No. 48 of 2022.

In supersession of Office Order No. 48 of 2022, Ministry of Railways has decided with the approval of the President that Additional Member (Finance) detailed to look after the charge of Member (Finance), would also exercise the quasi-judicial powers/disciplinary functions of Member (Finance) with immediate effect.

No.2025/O&M/5/3

Dated: 28.07.2025

(T. Srinivas)

Joint Secretary/Railway Board

Email ID: t.srinivas1@gov.in

Tele No.: 011-47845551

All Officers and Branches in Board's Office, COFMOW Building & Dayabasti,
New Delhi

Copy for information to:

CRB&CEO, M/T&RS, MI, MF, MO&BD

AM/Finance, AM/HR, AM/Revenue

Copy to:

EDPG/MR, EDPG/MoSR(R), JDPG MoSR(S)

भारत सरकार/GOVERNMENT OF INDIA
रेल मंत्रालय/MINISTRY OF RAILWAYS
(रेलवे बोर्ड/RAILWAY BOARD)

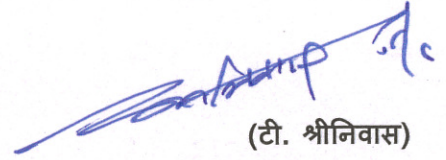
2025 का कार्यालय आदेश सं. 49

विषय: सदस्य (वित्त) की अर्ध-न्यायिक शक्तियों/अनुशासनात्मक कार्यों का अपर सदस्य (वित्त) को प्रत्यायोजन।

संदर्भ: बोर्ड का दिनांक 25.04.2025 का आदेश सं. ईआरबी-1/2024/2/08 और बोर्ड का 2022 का कार्यालय आदेश सं. 48

2022 के कार्यालय आदेश सं. 48 के अधिक्रमण में, राष्ट्रपति के अनुमोदन से रेल मंत्रालय ने यह विनिश्चय किया है कि सदस्य (वित्त) का कार्यभार देखने के लिए नियुक्त अपर सदस्य (वित्त) तत्काल प्रभाव से सदस्य (वित्त) की अर्ध-न्यायिक शक्तियों/अनुशासनात्मक कार्यों का भी प्रयोग करेंगे।

सं. 2025/ओएंडएम/5/3
दिनांक: 28.07.2025



(टी. श्रीनिवास)

संयुक्त सचिव/रेलवे बोर्ड
ई मेल:-t.srinivas1@gov.in
टेलीफोन नं- 011-47845551

बोर्ड कार्यालय, कॉफमो बिल्डिंग और दयाबस्ती, नई दिल्ली के सभी अधिकारी और शाखाएं।

प्रतिलिपि सूचनार्थ:-

अध्यक्ष एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, रेलवे बोर्ड, सदस्य/कर्षण एवं चल स्टॉक, सदस्य/अवसंरचना, अपर सदस्य/वित्त, सदस्य/ परिचालन एवं व्यवसाय विकास, अपर सदस्य/वित्त, अपर सदस्य/मानव संसाधन, अपर सदस्य/राजस्व

प्रतिलिपि प्रेषित:-

कार्यपालक निदेशक जन शिकायत/रेल मंत्री, कार्यपालक निदेशक जन शिकायत/रेल राज्य मंत्री (आर) संयुक्त निदेशक जन शिकायत/रेल राज्य मंत्री (एस)